



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**



24 AASHWIN, 1945 (S)

No. 608

RANCHI, MONDAY 16TH OCTOBER, 2023

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION
16TH October, 2023

Notification No.- 9/2023 – State Tax(Rate)

S.O. No. 39, Dated 16th October, 2023--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 41, dated the 29th June, 2017, namely: -

In the said notification, -

A. in Schedule I –2.5%,

- (i) after S. No. 99A and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"99B.	1905	Un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion";

(ii) after S. No. 108 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"108A.	2309	Fish soluble paste";

(iii) after S. No. 156A and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"156B.	2619	Linz-Donawitz (LD) Slag ";

(iv) after serial number 218A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"218AA.	56050020	Imitation zari thread or yarn known by any name in trade parlance";

B. in Schedule II-6%, against S. No. 137, for the entry in column (3), the entry "Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal, other than- (i) real zari thread (gold) and silver thread combined with textile thread (ii) imitation zari thread or yarn known by any name in trade parlance" shall be substituted;

C. in Schedule III-9%,

- (i) against S. No. 16, in column (3), for the words "toasted bread and similar toasted products", the words "toasted bread and similar toasted products, un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion" shall be substituted;
- (ii) against S. No. 28, for the entry in column (3), the entry "Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel, other than Linz-Donawitz (LD) slag" shall be substituted;

2. This notification shall be deemed to be effective from the 27th July, 2023.

[File. No. VaKar/GST/01/2023]

By the order of the Governor of Jharkhand,

Vipra Bhal ,
Secretary,
Commercial taxes Department.

Note: - The principal notification No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th day of June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 41, dated the 29th day of June, 2017 and was last amended by notification No. 03/2023 – State Tax (Rate) dated the 5th June, 2023 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 26, dated the 5th June, 2023.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

16 अक्टूबर, 2023

अधिसूचना सं०. 9/2023- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 39, दिनांक 16 अक्टूबर, 2023--झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 41, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची I- 2.5% में,

- (i) क्रम संख्या 99क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"99ख	1905	एक्स्ट्रूशन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके सैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों";

- (ii) क्रम संख्या 108 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"108क	2309	फिश सोल्युबल पेस्ट";

- (iii) क्रम संख्या 156क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"156ख	2619	लिंग-डोनाविट्ज (एलडी) स्लैग";

- (iv) क्रम संख्या 218क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"218कक	56050020	इमिटेशन ज़री धागा या सूत, जिसे व्यापारिक भाषा में किसी भी नाम से जाना जाता है";

ख. अनुसूची II-6% में, क्र. सं. 137 के कॉलम (3) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि " (i) असली ज़री धागा (सोना) और चांदी का धागा कपड़ा धागे के साथ संयुक्त(ii) नकली ज़री धागा या सूत, जिसे व्यापारिक भाषा में किसी भी नाम से जाना जाता है के अलावा, धातुयुक्त धागा, चाहे गिम्पड हो या नहीं, कपड़े का धागा, या पट्टी या शीर्ष 5404 या 5405 के समान, धागे, पट्टी या पाउडर के रूप में धातु के साथ संयुक्त या धातु से ढका हुआ" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ग. अनुसूची III - 9% में,

- (i) क्रम संख्या 16 के समक्ष कॉलम (3) में, शब्दों "टोस्टेड रोटी और इसी तरह के उत्पादों" के स्थान पर, "टोस्टेड ब्रेड और इसी तरह के उत्पादों, एक्स्ट्रूशन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 28 के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "लिंग-डोनाविट्ज (एलडी) स्लैग के अलावा, लोहे या स्टील के विनिर्माण की प्रक्रिया में निर्मित स्लैग डॉस (दानेदार स्लैग के अलावा), स्केलिंग और अन्य अपशिष्ट स्लैग" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2023 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/01/2023]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विप्रा भाल,

सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग ।

टिप्पण: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 41, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 03/2023- राज्य कर (दर), दिनांक 5 जून, 2023 जिसे एस. ओ. सं. 26, दिनांक 5 जून, 2023, के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।
